

D.N = <sup>365</sup> 17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राजस्थान)

दिनांक 16/5/2017

मु. पूमा-पुत्री-भज्जा - बनाम  
मीना - कि - शास्त्री कपड़े -  
तह माण्डलगढ

- (1) दितरु डी. दीरा - वलार्ड  
कि - शास्त्री कपड़े -
- (2) पेमा - डी. हरिश्चिदा - मीना  
कि - शास्त्री कपड़े -

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्राथी मु. पूमा पुत्री भज्जा मीना कि शास्त्री कपड़े ने जस्टिस से  
सुरेन्द्र सिंह राजावत ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एक  
खाते की भूमि साम शास्त्री कपड़े 40हो इंशोला तह0 माण्डलगढ में  
63, 756/61, 764/61, 765/63, 767/61

किता 5 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आश  
विवाद को लेकर अगडा फिसाद करते हैं। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कर  
साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान  
को यहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमावंदी सम्वत् 2069-2072 के अवलोकन से प्राथी  
आराजायात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद को  
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं  
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 रवीकार  
पान शास्त्री कपड़े की आराजी न0- 63, 756/61, 764/61, 765/63, 767/61

बिता-5 बीघा 12 बिस्वा 09 की बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी  
के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया  
कमीशनर फीस 600 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्राथी मौके पर अदा कर  
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनाइ  
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।